जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 218 प्रभात जालोर, गुरुवार 14 नवम्बर, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

वायनाड में मतदान गत चुनाव की तुलना में दस प्रतिशत घटा

प्रियंका गांधी के बड़े अंतर से जीत के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- बुधवार को विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों तथा झारखण्ड विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के रोचक रुझान उभर रहे हैं।
- राजस्थान में सात सीटों के लिए मतदान हुआ, कांग्रेस के तीन सीटें जीतने की उम्मीद है जबकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में नहीं दिखा।
- बिहार में चार सीटों के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की नई पार्टी ने प्रत्याशी उतारे। प्रशांत को जीत की उम्मीद थी पर वे काफी पीछे हैं। यहां एक सीट पर भाजपा व तीन पर राष्ट्रीय जनता दल जीतने की स्थिति में है।
- पंजाब में राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंघावा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी हालत खराब है, क्योंकि, यहां आप पार्टी से गठबंधन टूट गया है। कारण है प्रताप सिंह बाजवा, जिन्होंने आप के खिलाफ धुंआधार प्रचार किया है।

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। विभिन्न राज्यों में उप चुनाव हो रहे हैं तथा झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं पर जो रुझान नज़र आ रहे हैं वे काफी रोचक हैं।

राजस्थान में सात सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस जिसका कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार में मौजूद नहीं है फिर भी पार्टी को 7 में से 3 सीटे जीतने की उम्मीद है। ये सीटें हैं झुंझुनूं राजगढ़ और दौसा। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ममता बनर्जी को सभी 6 सीटें जीतने का यकीन है। वहां कोई विपक्ष नहीं है केन्द्रीय बल मतदान केन्द्र के दायरे से बाहर है और मजे कर रहे हैं तथा पुलिस अपना काम कर रही है।

बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव है तथा प्रशांत किशोर ने सभी चार सीटों पर प्रत्याशी खड़े किये हैं उन्हें यहां खाता खुलने की उम्मीद थी पर खबरें है कि व काफी पीछे हैं। एक सीट भाजपा और तीन पर राष्ट्रीय जनतादल के जीतने की उम्मीद है।

केरल में वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में हैं वे भारी अंतर से जीत की उम्मीद कर रही थीं पर गत चुनाव की तुलना में मतदान में दस प्रतिशत की गिरावट आई है। अन्य दो सीटों में से एक पर कांग्रेस व एक पर वाम मोर्चा के जीतने की उम्मीद है। हालांकि भाजपा भी यहां काफी कोशिश कर रही है।

पंजाब में ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंघावा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। आप पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। आप और कांग्रेस का गठबंधन टूटने का कारण है प्रताप सिंह बाजवा का आप पार्टी के खिलाफ धुंधाधार चुनाव प्रचार। यहां चार सीटों पर चुनाव हैं तथा दोनों पार्टियां दो-दो सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।

झारखंड में, जहाँ मतदान के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हुआ, वहाँ भाजपा आगे है, हालांकि, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सीटों तथा आधार पर पकड़ बना रखी है और कांग्रेस की स्थिति कमजोर पार्टनर की है और उसका प्रदर्शन फीका है।

रोचक बात है कि, झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तो गए लेकिन, सार्वजनिक मंच पर उनके साथ नहीं थे। दोनों नेताओं ने किसी भी जॉइंट मीटिंग को संबोधित नहीं किया है, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से गठबंधन है।

शहरी सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है, इसलिए, माना जा रहा है कि झामुमो की तुलना में उसका प्रदर्शन खराब होगा, जो ग्रामीण और जनजातीय सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति नाज़ुक नज़र आ रही है। नौ उपचुनाव, जो आज होने थे, को 20 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। चर्चा यह है कि भाजपा को कुछ और समय चाहिए था, तैयारी के लिए। इस राज्य में स्पष्ट रुप से समाजवादी पार्टी लाभ की स्थिति में है। महाराष्ट्र में एक ही दिन, 20 नवम्बर को चुनाव हैं, जबकि, मतगणना 23 नवम्बर को होगी।

खींवसर में सर्वाधिक, 75.62 प्रतिशत मतदान

जयपुर, 13 नवम्बर। राजस्थान में सात विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में से खींवसर में सर्वाधिक 75.69 फीसदी मतदान हुआ। वहीं, दौसा में सबसे कम 62.1 फीसदी मतदान हुआ।

- राजस्थान में मतदान 69.29 प्रतिशत रहा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि मतदान की समाप्ति के समय संभावित कुल मतदान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आर.पी.एस. के पूर्व सदस्य की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 13 नवंबर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 महानगर द्वितीय ने एस.आई. भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य रामूराम राईका की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

- अदालत ने कहा पूर्व सदस्य रामूराम राईका के खिलाफ गंभीर आरोप है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक दूसरे पर भारी संदेह है, महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों के घटक दलों को

ये दल खुद की जीत के लिए तो लड़ ही रहे हैं पर इन्हें यह भी चिंता है कि गठबंधन का दूसरा सहयोगी दल मजबूत स्थिति में न आ जाए

- श्रीनन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- महायुति गठबंधन में अजित पवार की पार्टी सिर्फ 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं, भाजपा 148 और शिंदे की पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
- अजित की कोशिश है कि भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) को चुनावों में नुकसान हो।
- अजित पवार के हालिया बयानों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नारे ''बंटेंगे तो कटेंगे'' का घोर विरोध किया जबकि भाजपा इस नारे का खूब इस्तेमाल कर रही है। उनके गौतम अडानी से संबंधित बयान को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। चर्चा है कि वे भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
- राजनैतिक हल्कों में चर्चा है कि दोनों गठबंधनों के सहयोगी दलों की नज़र चुनाव बाद के हालात पर है। चुनाव के बाद कई नए समीकरण उभर सकते हैं।

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। महाराष्ट्र विधानसभा के लिये मतदान होने से एक सप्ताह पूर्व, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) नेता अजित पवार ने यह कहकर एक राजनैतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि 2019 में, भाजपा और अविभाजित एन.सी.पी. के बीच हुई राजनैतिक मुलाकात में उद्योगपति गौतम अडानी शामिल थे, जिसके बाद, अल्पकालीन देवेन्द्र फडनवीस सरकार बनी थी। अजीत ने कहा, ''सभी जानते हैं कि वह मीटिंग व्यवसायी (गौतम अडानी) के दिल्ली-स्थित निवास पर हुई थी। उस मीटिंग में, गौतम अडानी के अलावा, अमित शाह थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेन्द्र फड़नवीस थे तथा शरद पवार थे।'' अजित ने आगे कहा, ''इस मीटिंग में हर चीज तय हुई थी। इस (मीटिंग) का दोष मेरे ऊपर मढ़ा गया है और मैंने उसे वहन किया है। मैंने दोषारोपण को स्वीकार किया तथा अन्य (सब) को सुरक्षित रखा।''

जहाँ इस विस्फोटक रहस्योद्घाटन का जाहिर-सा उद्देश्य चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली प्रतिद्वन्द्वी एन.सी.पी. की चुनावी सम्भावनाओं को क्षति पहुँचाना है, लेकिन मीटिंग में अडानी की मौजूदगी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपने पैरों पर खड़े होना सीखें, सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अजित से यह भी कहा, जब आप शरद पवार से अलग हो गए हैं तो उनके नाम, फोटो या वीडियो का प्रयोग भी नहीं करें

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
- याचिका में कहा गया था कि अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में फायदे के लिए शरद पवार के फोटो, वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। अजित पवार के नेतृत्व वाली एन.सी.पी. को निर्णायक निर्देश देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आज विद्रोही नेता अजित पवार को कहा, ''अब, जबकि, शरद पवार के साथ आपके सैद्धान्तिक मतभेद हैं, तो आप अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना सीखिये। एक बार जब आप इनसे अलग हो गये हैं तो आपको उनके नाम, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।''

शीर्ष अदालत ने एन.सी.पी. नेता अजित पवार से कहा कि 20 नवम्बर को होने वाले विधान सभा चुनावों से पहले वो अपने चाचा, एन.सी.पी. -एस.सी.पी. प्रमुख शरद पवार का नाम, फोटो तथा वीडियो का उपयोग न करें।

अजित पवार, जो इस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार की नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गये थे। उन्हें मूल एन.सी.पी. का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की अनुमति मिल गई थी। वहीं शरद पवार ने एन.सी.पी.-एस.सी.पी. के नाम से पार्टी का एक नया गुट बना लिया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपरोक्त नवीनतम निर्देश तब जारी किया गया, जब एन.सी.पी. -एस.सी.पी. के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को यह जानकारी दी कि अजित पवार सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश की अनुपालना नहीं कर रहे हैं तथा महाराष्ट्र के आसन्न विधानसभा चुनावों में वोट हासिल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने जलजीवन मिशन मामले में ई.डी. को पक्षकार बनाया

जयपुर, 13 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन मामले में लंबित जनहित याचिका में ई.डी. को पक्षकार बना लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश, ''पब्लिक अगेंस्ट करप्शन'' की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- याचिका के अनुसार, सी.बी.आई. केवल दो प्रकरणों की जांच कर रही है, कई मामलों में तो बिना काम किये भुगतान दिया गया।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्रकरण हजारों करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। वहीं, सी.बी.आई. जल जीवन मिशन से जुड़े सिर्फ दो प्रकरणों की जांच कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भाजपा कभी भी मुस्लिम आरक्षण की अनुमति नहीं देगी'

अमित शाह ने मुम्बई की चुनावी सभाओं में घोषणा की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- अमित शाह ने वक्फ बोर्ड कानून का मुद्दा उठाया और कहा कि मोदी वक्फ बोर्ड कानूनों में सुधार के लिए कृतसंकल्प हैं चाहे इंडिया गठबंधन जितना भी अवरोध खड़ा कर दे।
- शाह ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए गठबंधन ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है।

नई दिल्ली, 13 नवंबर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को मुंबई में जोर देकर कहा कि राहुल गाँधी, शरद पवार और उनकी महा अघाड़ी कितना भी चाहें, भाजपा मुसलमानों को आरक्षण की अनुमति नहीं देगी।

घाटकोपर और बोरीबिली में दो रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) के पास वक्फ बोर्ड और मौलाना के लिए फण्ड हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के लिए संसाधन की कमी है। उन्होंने कहा, एम.वी.ए. जितना चाहे विरोध करे, लेकिन, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानूनों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प है। संसद की एक स्थाई समिति वक्फ बोर्ड कानूनों की समीक्षा कर रही है, जिसे इस माह शुरू होने वाले शीत सत्र में संसद में रखा जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा, कि एम.वी.ए. का अस्तित्व खत्म होने वाला है और महाराष्ट्र में मोदी के नेतृत्व में महायुति सरकार का गठन होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं अपनी ही पार्टी के वादों पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि, मोदी के वादे पत्थर जितने मजबूत हैं।

शाह ने आरोप लगाया कि इण्डिया गठबंधन के नेताओं को वोट बैंक की लालच है, और ये लोग महाराष्ट्र तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा, राहुल को पता होना चाहिए कि उनके परिवार की चार पीढ़ियाँ भी, मोदी सरकार द्वारा रद्द किए गए आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकतीं।

शाह ने एम.वी.ए. पर, विकास की हर पहल का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और मुंबई का विकास केवल प्रधानमंत्री मोदी तथा वर्तमान महायुति सरकार के नेतृत्व में संभव है।

छत्रपति शिवाजी एवं वीर सावरकर के बारे में बोलते हुए, शाह ने कहा, शिवाजी ने महाराष्ट्र की भूमि से संपूर्ण राष्ट्र को स्वराज व स्वधाम का रास्ता दिखाया। शाह ने कहा कि जिस दिन भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाअघाड़ी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वही वादे करें जिन्हें पूरा किया जा सके। शाह ने कहा, इससे दिखाई पड़ता है कि खड़गे को अपनी ही पार्टी द्वारा किए गए वादों पर विश्वास नहीं है।

उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को रद्द करने वाला विधेयक जब संसद में पेश किया गया, उस समय कांग्रेस नेता राहुल गाँधी, शरद पवार की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सभी ने इसका विरोध किया,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आवंटी के फ्लैट से बैंक की वसूली नहीं - रेरा

जयपुर, 13 नवंबर। रेरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फ्लैट आवंटियों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए कहा है कि बैंक की ओर से बिल्डर के लोन की वसूली आवंटियों के फ्लैट बेचकर नहीं की जा सकती। वहीं, रेरा ने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी के फ्लैट का बेचान नहीं करे और उसके पक्ष में एन.ओ.सी. जारी करे। रेरा की अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने यह आदेश सुरेन्द्र कुमार के परिवाद पर दिया। रेरा ने कहा कि रेरा एक्ट के तहत आवंटियों को दिए गए अधिकारों को सरफेसाई एक्ट की कार्रवाई के तहत खत्म नहीं कर सकते। ऐसे में बैंक न तो

- एक महत्वपूर्ण फैसले में रेरा न कहा, बैंक बिल्डर के ऋण की वसूली आवंटी से नहीं कर सकता।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोचिंग सैंटर्स के झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर केन्द्र सरकार की सख्ती

केन्द्र सरकार ने कोचिंग सैंटर्स की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन्स जारी की

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- सैंट्रल कंज़्यूमर अथॉरिटी ने बुधवार को 45 कोचिंग सैंटर पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही की तथा 18 सैंटर्स से नियमों के उल्लंघन के लिए 54.60 लाख रु. पैनल्टी वसूली।
- उपभोक्ता मामलात मंत्रालय की सचिव, निधि खरे ने पत्रकारों को बताया कि ये गाइडलाइन्स उन ''सैलिब्रिटीज़'' पर भी लागू होंगी, जो कोचिंग सैंटर्स का प्रमोशन करती हैं।
- गाइडलाइन्स में विज्ञापन टॉपर्स के फोटो व नाम का मनमाना इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है तथा कहा है कि सम्बंधित टॉपर की लिखित सहमति के बाद ही उनके नाम या फोटो का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- नैशनल कंज़्यूमर हैल्पलाइन ने कोचिंग विद्यार्थियों की शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए छात्रों को उनकी एनरोल्मैंट फीस भी वापस दिलवाई तथा कई अन्य समस्याओं का समाधान भी किया।

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। दिल्ली में कोचिंग सैंटर्स की तेजी से संख्या बढ़ रही है। सेंट्रल कंज़्यूमर प्रोटैक्शन अथॉरिटी ने भ्रामक विज्ञापन जारी करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन्स जारी की है।

अथॉरिटी ने 45 कोटिंग सैंटर्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान कार्यवाही की और उन्होंने 18 कोचिंग सैंटरों पर 54.60 लाख रु का जुर्माना भी किया है। कंज़्यूमर्स अफेयर विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि, हमने कोचिंग सैंटर्स को विद्यार्थियों के साथ धोखा करने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रैंस में बताया था कि ये गाइड लाइन्स कोचिंग में लगे हर व्यक्ति पर ये गाइड लाइन्स लागू होती हैं। इसमें वे हस्तियां भी शामिल हैं जो कोचिंग सैंटर को प्रमोट करती हैं।

हरेक कोचिंग सैंटर को नैशनल कंज़्यूमर हैल्पलाइन से जुड़ना होगा और इससे छात्रों के लिए भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अपनी चिंताओं का समाधान करना आसान हो जाएगा।

इन गाइड लाइन्स में, कोचिंग संस्थानों के लिए प्रस्तावित कोर्सों, उनकी अवधि, फैकल्टी की योग्यता, फीस, रिफन्ड पालिसी, चयन-दरों, सफलता के आंकड़ों, परीक्षाओं में रैंकिंग तथा जॉब सिक्यूरिटी के वादों के बारे झूठे दावे करना निषिद्ध कर दिया गया है तथा कहा गया है कि ये संस्थान अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर, संसाधनों तथा सुविधाओं की सही जानकारी देंगे।

एक उल्लेखनीय कदम के अन्तर्गत, ये गाइड लाइन्स कोचिंग सेन्टरों को कथित रूप से, विज्ञापनों में विद्यार्थियों के नामों, फोटोग्राफों या टेस्टिमोनियल्स का उपयोग, उनकी लिखित सहमति के बिना करने रोकेंगी। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी की सहमति उसके सफल होने के बाद ही ली जायेगी।

इन गाइड लाइन्स का निशाना, कथित रूप से, कोचिंग में काम करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त इस युक्ति को बनाया गया है, जिसके द्वारा संबंधित कोचिंग में प्रवेश के लिए अर्जेन्सी या कम सीटें शेष होने का माहौल बनाया जाता है। इसमें सीमित सीटें, जबरदस्त मांग, आदि का उल्लेख शामिल है, जिससे विद्यार्थियों पर तत्काल प्रवेश लेने का दबाव पड़ता है।

इन गाइड लाइन्स के उल्लंघन को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)